

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1565-DREAMS COLLEGE OF POLYTECHNIC, 5TH KM JANTA ROAD, SAHARANPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	30	30
5	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा

**कार्यालय  
संयुक्त प्रादेशिक शिक्षा परिषद,  
सदर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या: प्राशिम/परिषद/सम्बद्धता/2020/1971

तारीख: दिनांक: 16-8-2020

**कार्यालय ज्ञाप**

अधिकांश भारतीय राजकीय शिक्षा परिषदें, नई दिल्ली / कर्नाटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2020-21 हेतु डिप्लोमा/ स्नातक स्तर की शिक्षा संस्थाओं को अनुमति प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रादेशिक शिक्षा परिषदें 30000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 13-8-2020 को अध्यक्ष प्रादेशिक शिक्षा परिषदें 30000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रादेशिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पवेश क्षमता/सहित अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी के अन्तर्गत में सम्बद्धता समिति की बैठक के तदनुसार 12 में डिप्लोमा एवं 4000 पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्ण से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण देखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान प्रवेश क्षमता के अनुसार परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था की प्रादेशिक शिक्षा परिषद, 30000 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान को जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0 / ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 अनुमति प्रवेश क्षमता	ए0आइ0सी0टी0ई0 / ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमति प्रवेश क्षमता
1	1505	डीएन कॉलेज ऑफ पारोडिबिकल 5 किंगडो गंगा नगर, सहारनपुर।	इलेक्ट्रोनिक्स एंडी सिविल इंजीनियरिंग मैस्युटर ग्रास एण्ड इजी कंप्यूटर एंडी ग्राफिक्स एंडी ग्राफिकल्स एंडी ग्राफिकल्स एंडी ग्राफिकल्स	60 60 30 60 60	30 60 30 90 80

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 / ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सदर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद विनियमताली 1992, सेक्टर विनियमताली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शर्तों के निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150,00/- प्रतिवर्ष की वार्षिक फीसों पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फीसों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,800,00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जून/अप्रैल में शर्तों के पालन में समय-समय पर साख्तन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश पंजाबी शर्तों और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30000 प्रादेशिक शिक्षा समितियों तथा अन्य समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जासा) विनियमताली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सम्पन्न प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में सदर प्रदेश शिक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर सिंगल शासनादेश के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शर्तें जमा करनी होगी।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0 / ए0आइ0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

*(Handwritten Signature)*

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविप./परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 16-5-2018

-कार्यालय धाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रौद्योगिकी सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-2 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रवेशन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महत् विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उपाय अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

सत्र सं०	संस्था संकेत	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०पी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1080	डीएच कॉलेज ऑफ फार्मी० एवं किमी० जन्मा रोड, लखनऊ	रिफ्रिज ईजी फैब्रिकेशन ईजी (फ्रीज) कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड ईजी इलेक्ट्रिकल ईजी इलेक्ट्रॉनिक्स ईजी	60 60 30 60 30	60 60 30 60 30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 90,180.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,090.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में राग्य-समाय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनवादेश प्रणयी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता दर लागू होगी।
- ✓ परिषद की उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाना विनियमवाली-2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विगत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।